

उत्तरांचल सरकार
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग

संख्या: 155/डी.डब्ल्यू.ई.सी.डी./03 देहरादून दिनांक: 18 नवम्बर 2003

सेवा में,
निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तरांचल शासन।

विषय : आई0सी0डी0एस0 तृतीय परियोजना में आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु पंचायत/निर्माण अभिकरण को धनराशि अवमुक्त करने हेतु दिशानिर्देश।

महोदया,

कृपया आप अवगत है कि जहाँ जिरागें के भवनों (अन्य भवनों) में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है, वहाँ 950 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का निर्णय उत्तरांचल सरकार द्वारा किया गया है, एक भवन हेतु औरतत लागत रू० 1.25 लाख होगी। प्रचलित निर्माण विधि के संदर्भ में एक सुझावात्मक बिल्डिंग-प्लान बनाया गया है। यदि फ़ैरीस्किनेट पद्धति प्रयोग की जाती है तो उसके लिये भी एक सुझावात्मक बिल्डिंग-प्लान तथा आगणन बनाया गया है। भवन निर्माण हेतु गैर-परम्परागत विधि, जिसमें निर्माण सामग्री का प्री-फैब्रिकेशन सम्मिलित है हेतु भी सुझावात्मक बिल्डिंग प्लान प्रदान किया जायेगा।

2- निर्माण हेतु धनराशि उत्तरांचल महिला एवं बाल विकास सोसाइटी द्वारा सीधे सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम-निधि खाते में जारी की जायेगी। धनराशि निम्न प्रकार से अवमुक्त की जायेगी :-

- (अ) स्थल चयन, मुख्य प्लान की प्रस्तुति (जिसमें सुविधाओं यथा सड़क-मार्ग, स्वच्छता-केन्द्र, जल आपूर्ति सहित भूमि की स्थिति एवं निकटवर्ती स्थलों का अंकन होगा) स्थल-प्लान की प्रस्तुति (जिसमें भूमि का औरतत परिमाण तथा सीमा रेखा का अंकन होगा) तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव : 20%
- (ब) निर्माण एजेंसी का चयन एवं आगणन की प्रस्तुति : 20%
- (स) बुनियाद स्तर तक कार्यपूर्ण - 40%
- (द) छत स्तर तक निर्माण पूर्ण : 10%
- (र) भवन निर्माण पूर्ण तथा प्रयोग हेतु तैयार करने के पश्चात ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त निर्माण कार्य के संतुष्टिपूर्वक पूर्ण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र के उपरान्त : 10%

3- राज्य के समस्त 13 जनपदों को प्रत्येक 70 आंगनवाड़ी भवनों के अंतिम आवंटन की सूचना प्रेषित की जाये। शेष 40 भवनों का आवंटन बाद में किया जायेगा। जनपदों को यह सूचित किया जाये कि प्रस्तावित आंगनवाड़ी भवनों हेतु स्थल चयन में विलम्ब होने पर सम्बन्धित जनपदों के शेष आंगनवाड़ी भवनों का आवंटन संतोषजनक प्रगति वाले जनपदों को कर दिया जायेगा। कृपया इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को एक पत्र प्रेषित करें।

4- जहाँ ग्राम प्रधान द्वारा लिखित सूचना दी गयी है तथा प्राधिकरण-पत्र जारी किया गया है, वहाँ प्रथम किस्त को छोड़ते हुए अन्य समस्त किस्तें पंचायत द्वारा चयनित निर्माण अभिकरण हेतु अवमुक्त की जायेगी। यदि पंचायत समस्त धनराशि निर्माण-अभिकरण के पक्ष में अवमुक्त कराना चाहती है तो प्रथम एवं द्वितीय किस्त के साथ अवमुक्त की जा सकती है।

5- यह अपेक्षा है कि प्रति आंगनवाड़ी भवन के निर्माण पर औसत लागत रु० 1.25 लाख से अधिक नहीं आयेगी। जिन ग्रामों में जनजाति की संख्या ग्राम की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ आंगनवाड़ी भवन निर्माण के सम्बन्ध में ट्राइबल-सर्वप्लान के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु समाज कल्याण विभाग को अतिरिक्त वित्तीय सहायता के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें।

भवदीय

ह०
(एस०के० गुट्टू)
सचिव

निदेशालय, आई०सी०डी०एस०, उत्तरांचल
डी-47, सेक्टर-4, डिफेंस कालोनी, देहरादून।

दूरभाष- 0135-2775274/77

संख्या C-1893/आई०सी०डी०एस० 111/निर्माण/03 दिनांक: 29 नवम्बर 2003
प्रतिलिपि - निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

- 1- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।


(दमयन्ती दोहर)
निदेशक